

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रार/आरटीई/19709/बजट घोषणा/2022-23/ दिनांक:-05.01.2023

## कार्यालय आदेश

### इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के संबंध में संशोधित टाईम फ्रेम

शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के संबंध में पूर्व में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं जो राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल (rajpsp.nic.in) पर उपलब्ध है। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन संचालित गैर सरकारी विद्यालयों में इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत जिन बालिकाओं द्वारा पंजीकरण व आवेदन नहीं किया गया है। उन सभी बालिकाओं द्वारा दिनांक 31.01.2023 तक पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें व पूर्व में जिन बालिकाओं द्वारा आवेदन कर दिया गया है। उनके आवेदन का सत्यापन पूर्व निर्धारित दिनांक तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इन्दिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना आवेदन हेतु संशोधित टाईम फ्रेम निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | विवरण/गतिविधि                 | संशोधित दिनांक |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 01.     | बालिकाओं द्वारा पंजीकरण       | 31.01.2023 तक  |
| 02.     | बालिकाओं द्वारा आवेदन         | 31.01.2023 तक  |
| 03.     | जिशिअ द्वारा सत्यापन          | 15.02.2023 तक  |
| 04.     | जिशिअ, माध्यमिक द्वारा भुगतान | 28.02.2023 तक  |

  
(चन्द्र किरण पंवार)

उपनिदेशक(आरटीई)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर